



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 110/2022 निर्णय दिनांक 21/06/22

**महादेव बनाम लाटुनाब** [ विस्तृत विवरण पृष्ठ पर अंकित है ]

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956**

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1.	बामोली	2073-76	88	465	0.43	466	0.16	467	0.25		

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

#### क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण की सहमति पर भू.अ.निरीक्षक आसीन्द को 700/-रु./ की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की / स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 21/06/22 को प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 फोलोअप केम्प आसीन्द में मजमे आम सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

क्रमांक / रीडर / 2022 / 122

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(संदीप कुमार)  
सहायक कलक्टर (S.D.O.)

जिला- भीलवाड़ा

दिनांक 24.6.2022

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	प्रार्थी / अप्रार्थी
1	महेश्वरनाथ पिता नारायणनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	प्राथी
2	केलाशनाथ पिता नारायणनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
3	देव प्रुजी नारायणनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
4	माली प्रुजी नारायणनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
5	मीरा प्रुजी नारायणनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
6	गुणी प्रुजी नारायणनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
7	सोसर पत्नी नारायणनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
8	लालुनाथ पिता मोतीनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	अप्राथी
9	कस्तुरनाथ पिता माथुनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
10	देवेन्द्रनाथ पिता कस्तुरनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
11	रुकमणी देवी पत्नी कस्तुरनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
12	पतासी देवी पत्नी लालुनाथ जोगी नि. वामणी त. आसीड	- do -
13	राजाबाग सरकार जरिम तहसीलदार साबवा आसीड	- do -
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

साबवा (S.D.O.)  
आसीड त. नवाडा